भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1350
28.07.2025 को उत्तर के लिए

यूएनसीसीडी के प्रति प्रतिबद्धताएं

1350. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (यूएनसीसीडी) और संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत राजस्थान में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किया है;
(ख) यदि हाँ, तो ऐसी पहलों की जिलावार स्थिति क्या है और परिणाम क्या रहे हैं;
(ग) क्या सरकार की राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ और टॉडगढ़-रावली वन्यजीव अभयारण्यों जैसे क्षेत्रों में वन्यजीव गलियारों के विकास या संरक्षण की कोई योजना है; और
(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजसमंद जिले में प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों और कैम्पा निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) मरुस्थलीकरण और भूमि अवक्रमण से निपटना एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसके लिए अनुकूलन कार्यनीतियों, समन्वित हितधारक सहभागिता और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। भारत ने रेगिस्तानी क्षेत्रों में धारणीयता सुनिश्चित करने तथा निगरानी, अनुसंधान, नीतिगत कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूमि अवक्रमण से निपटने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है। भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किए गए कुछ प्रमुख उपायों में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) द्वारा भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि अवक्रमण मानचित्र का प्रकाशन शामिल है, जो भूमि अवक्रमण पर राज्यवार आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे योजना और कार्यान्वयन में सहायता मिलती है, और एसएसी द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल भी शामिल है जो अवक्रमित क्षेत्रों को उत्पादक प्रक्रियाओं से जोड़ता है, जिससे बेहतर योजना और शमन उपायों में मदद मिलती है। आईसीएफआरई देहरादून में संधारणीय भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, जो भूमि अवक्रमण तटस्थता को बढ़ावा देता है, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुविधाजनक बनाता है, भारत की लागत प्रभावी भूमि प्रबंधन प्रक्रियाओं को साझा करता है, और क्षमता निर्माण का समर्थन करता है, जबकि आईसीएफआरई संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (एएफआरआई)

जोधपुर शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए वानिकी अनुसंधान करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनेक वनीकरण स्कीमें/कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान करते हैं, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई), इको-डेवलपमेंट फोर्सेज (ईडीएफ) योजना, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) और प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के तहत निधियां, जिनका उपयोग राजस्थान सहित शुष्क क्षेत्रों में वनीकरण, जल संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से मरुस्थलीकरण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। राजस्थान सरकार भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण रोकथाम (सीसीएंडसीडी) कार्यक्रम भी लागू कर रही है। इन पहलों का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

इसके अलावा, 5 जून, 2024 को 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि अवक्रमण को रोकना और उन्हें विपरीत करना, सूखे से निपटने की क्षमता का निर्माण करना, मरुस्थलीकरण को रोकना और "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" के दृष्टिकोण पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण के माध्यम से देश के हरित आवरण को बढ़ाना है, और राजस्थान राज्य ने इस अभियान के तहत मार्च, 2025 के अंत तक 7.27 करोड़ पौधे लगाए हैं।

(ग) मंत्रालय द्वारा कुंभलगढ़ बाघ अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बाघ अभयारण्य के निर्माण से वन्यजीव गलियारों का संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजसमंद जिले में प्रतिपूरक वनीकरण कार्यकलापों और काम्पा निधि के उपयोग का विवरण **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-1

"यूएनसीसीडी के प्रति प्रतिबद्धताएं" के संबंध में श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा दिनांक 28.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1350 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण कार्यकलापों का जिलावार विवरण:

स्कीम/कार्यक्रम का नाम : जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण का मुकाबला							
क्र. सं.	**जिला/वर्ष**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**
1	अजमेर	250	25		100	250	625
2	बाड़मेर	250	150	625	1650	800	3475
3	बीकानेर	600	330	1605	2600	3100	8235
4	चुरू	200	200	224	160	250	1034
5	गंगानगर	200	120	935	1950	2400	5605
6	हनुमानगढ़	200	130	720	2000	700	3750
7	जैसलमेर	875	610	2296	3600	5245	12626
8	जालौर	-	-	-	300	150	450
9	झुंझुनू	400	440	950	300	850	2940
10	जोधपुर	75	70	270	600	1175	2190
11	नागौर	350	425	1005	1290	1655	4725
12	सीकर	700	400	1370	900	900	4270
	कुल	4100	2900	10000	15450	17475	**49925**

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम : इको-टास्क फोर्स							
क्र. सं.	**जिला/वर्ष**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**
1	जैसलमेर	600	600	600	600	600	3000
	कुल	600	600	600	600	600	**3000**

स्कीम/ कार्यक्रम का नाम : जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी)							
क्र. सं.	**जिला/वर्ष**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**
1	बाड़मेर	-	-	550	650	-	1200
	कुल	-	-	550	650	-	**1200**

***

अनुलग्नक-2

"यूएनसीसीडी के प्रति प्रतिबद्धताएं" के संबंध में श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा दिनांक 28.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1350 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजसमंद जिले में प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों और काम्पा निधि के उपयोग का विवरण :

क्र. सं.	वर्ष	प्रतिपूरक वनीकरण कार्यकलाप	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उपयोग (लाख में)
1	**2020-21**	प्रतिपूरक वनीकरण- वनेतर भूमि (सीए-एनएफएल) रखरखाव	29.54	1.42
		प्रतिपूरक वनीकरण - अवक्रमित वन भूमि (सीए डीएफएल) रखरखाव	70.62	2.23
		कुल		**3.65**
2	**2021-22**	प्रतिपूरक वनीकरण- वनेतर भूमि (सीए-एनएफएल) रखरखाव	29.54	1.49
		प्रतिपूरक वनीकरण - अवक्रमित वन भूमि (सीए डीएफएल) रखरखाव	70.62	2.34
		कुल		**3.83**
3	**2022-23**	ट्रांसमिशन लाइन औषधीय पौधे अग्रिम कार्रवाई	19.12	9.76
		प्रतिपूरक वनीकरण- वनेतर भूमि (सीए एनएफएल) वृक्षारोपण	3.94	2.52
		सीए एनएफएल रखरखाव	29.54	1.67
		सीए एनएफएल रखरखाव	70.62	4.26
		कुल		**18.21**
4	**2023-24**	ट्रांसमिशन लाइन रखरखाव	19.12	42.32
		सीए एनएफएल रखरखाव	33.48	2.46
		सीए डीएफएल रखरखाव	70.62	4.37
		कुल		**49.15**
5	**2024-25**	ट्रांसमिशन लाइन रखरखाव	19.12	19.47
		सीए एनएफएल रखरखाव	33.48	1.94
		प्रतिपूरक वनीकरण - अवक्रमित वन भूमि (सीए डीएफएल) अग्रिम कार्रवाई	497.714	91.83
		सीए डीएफएल रखरखाव	70.62	4.24
		100 वृक्षारोपण	100 पेड़	0.58
		कुल		**118.06**
कुल योग				**192.90**

***